न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 59/23 GCMS NO 2023/136

1. हरकिशन
2. रामहेत जातियान माली निवासीयान काछीपुरा(करसाई) तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रतनी बेबा बज्जा उर्फ बजरंगा
2. मुरारी पुत्र बज्जा उर्फ बजरंगा
3. रामप्रसाद पुत्र बज्जा उर्फ बजरंगा
4. नाहर सिह पुत्र नंगा
5. जगदीश पुत्र नंगा
6. हीरालाल पुत्र नंगा
7. रामचरण पुत्र छिंगा सभी जातियान माली निवासीयान काछीपुरा(करसाई) तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

अभिभाषक अपीला0 श्री अशोक सिह

अभिभाषक रैस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल

अपील संख्या - 58/23 GCMS NO 2023/135

1. रतनी बेबा बज्जा उर्फ बजरंगा
2. मुरारी
3. नाहर सिह
4. जगदीश
5. हीरालाल पुत्रान बज्जा उर्फ बजरंगा सभी जातियान माली निवासीयान काछीपुरा(करसाई) तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रामचरण पुत्र छिंगा जाति माली निवासी काछीपुरा करसाई तहसील व जिला करौली
2. हरकिशन
3. रामहेत पुत्रान उकारंया जातियान माली निवासीयान काछीपुरा करसाई तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

(अपीले विरूद्व मु0नं0 3/18 निर्णय दिनांक 21.7.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री रामजीलाल अग्रवाल

दिनांक 20.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपीले अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 2... विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.7.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:15:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत दोनो अपीलो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो / प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत इस आशय का पेश कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 633 मे हमेशा से ख0न0 686 जिसका मिन न0 686 / 1472 है मे आने जाने का कदीमी रास्ता रहा है। ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। रास्ते की जमीन के लिए 20 फीट चौडाई के रास्ते की आवश्यकता है। हम अपनी आराजीयात को ख0न0 635 के पूर्व बताये हुए रास्ता से ग्राम काछीपुरा(करसाई) से आते है और ख0न0 686 जिसका मिन न0 686 / 1472 है अप्रार्थी रामचरण हमारी रास्ता भूमि मे निर्माण करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने हेतु भूमि ख0न0 686 / 1472 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा किस्म बंजड ग्राम करसाई मे से रास्ता 20 फीट चौडाई का अप्रार्थी रामचरण के खेत ख0न0 686 / 1472 मे से दिलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपील संख्या 59 / 23 मे अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 ने अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र रेस्पो0 संख्या 7 रामचरण के विरूद्व पेश किया था जिसमे रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के खेत ख0न0 633 को आने जाने का रास्ता एक मात्र रेस्पो0 संख्या 7 रामचरण के खेत ख0न0 686 / 1472 मे होकर हमेशा से ट्रेक्टर ट्रोली व आवागमन साधन आने जाने का बताया गया है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही होना बताया गया है। रेस्पो0 संख्या 7 अपीलांटान से रजिश रखते है इसी कारण रेस्पो0 संख्या 7 ने उक्त रास्ते से बचने के लिए अपनी जबाबदेही मे अपीलांटान के खेत मे होकर रास्ता होना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया था जिसमे पक्षकारा बनाया गया है। पटवारी हल्का द्वारा वगैर मौके पर जाकर कोई जॉच किये बिना ही रेस्पो0 संख्या 7 के प्रभाव मे आकर घर बैठकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। जहॉ रास्ता बताया गया है वहॉ अपीलांट की मकानियत बनी हुई है। जो कई वर्षो से बने हुए है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अधिनस्थ न्यायालय मे ऐतराज किया गया था किन्तु उक्त ऐतराज पर कोई गौर नही कर मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कि[illegible] मौके पर अपीलांटान के मकान बने हुए है कोई रास्ता भूमि नही है ना ही क[illegible] अधिनस्थ न्यायालय मे गवाहो ने अपने बयानो मे ख0न0 633 को [illegible]72 मे होकर हमेशा से रहना बताया है इसी प्रकार अपील[illegible] इसी ख0न0 मे होकर ख0न0 633 को आने जाने का रास्ता बताया है। इसी प्रकार रेस्पो0 [illegible]ख्या 7 ने भी अपने खेत ख0न0

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:15:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

686/1472 मे से रास्ता होना स्वीकार किया है एवं अपीलांटान की मकानीयत बनी होना स्वीकृत तथ्य माना है। इसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील संख्या 59/23 मे रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि प्रार्थीगण के खेत ख0न0 633 पर आने जाने हेतु पूर्व से ही ख0न0 686/1472 मे से ही पूर्व खातेदार किस्तुर चंद के समय से ही रास्ता चला आ रहा है। आबादी बनी होने के कारण कृषि भूमि आबादी मे कन्वर्ट नही है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन रहते हुए रामचरण द्वारा निर्माण कराया है। ख0न0 633 आबादी भूमि नही है कृषि साधनो के लिए व मवेशी के लिए निर्माण कराने से कृषि भूमि आबादी नही होती है। सम्वत 2075 मे भी भूमि कृषि भूमि दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भूमि ख0न0 633 पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही होने पर ही सुलभ एवं सुगम रास्ता अपीलांट की आराजीयात ख0न0 628 रकबा 1.04 है0 मे से होना दर्शित कर ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानो के तहत ही रास्ता प्रदान किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

अपील संख्या 58/23 मे अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर ख0न0 633 की भूमि पर कदीमी रास्ता ख0न0 686 जिसका मिन न0 686/1472 मे से होकर ख0न0 635 व 634 की मेड के सहारे ख0न0 633 को है। प्रार्थीयान उसी रास्ते से आवागमन करते चले आ रहे है। इस रास्ता की विस्वारित चौडाई 20 फीट चाहता है। नक्शा शीट मे भी ख0न0 633 को रास्ता ख0न0 635 व 634 की मेड के सहारे ख0न0 686/1472 मे होकर स्पष्ट है। पटवारी व गिरदावर ने भी ख0न0 628 व 686/1472 महौली से काछीपुरा को आ रहे रास्ता की तरमीम ख0न0 686/1472 मे हो रही है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर ख0न0 628 की भूमि से रास्ता दिया गया है। जो अप्रार्थी रामचरण से मिलकर दिया गया है। रामचरण की कृषि भूमि जो ख0न0 634 एवं 635 के सहारे बताई है उसमे से प्रार्थीयान अपीलांट सहारे बताई हुई है। उसमे होकर अपीलांट का रास्ता है। डॉट लाईन से पटवारी ने ख0न0 686/1472 के दो पार्ट कर रखे है। जबकि नक्शा ट्रेस ने नक्शा शीट मे दर्शित नही किये हुए है ना ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे ऐसा करने को 686/1472 मे सडक को दर्शित करने के आदेश भी प्रदान नही किये है। ख0न0 686/1472 की बीच स्थित भूमि मे होकर ख0न0 633 को पहुँच मार्ग नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का को आधार मानकर ही निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.9.20 मे अपीलांट की भूमि 633 पर प[illegible] कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना बताया गया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने [illegible] पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11.9.20 मे स्पष्ट अंकन है कि ख0न0 [illegible] को आने जाने हेतु कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:15:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रास्ता वर्तमान मे मौजूद नही है। पटवारी हल्का ने मनमानी तौर पर नवीन रास्ता बनाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जबकि अप्रार्थी रामचरण ने प्रार्थीयान अपीलांट द्वारा चाहे गये मार्ग मे दौराने प्रकरण निर्माण कर रास्ता अवरूद्व कर रखा है। जबकि सुगम रास्ता ख0न0 686/1472 की भूमि मे ही होकर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब एवं नक्शा शीट व साक्ष्य का विधिवत विवेचन नही कर निर्णय पारित किया गया है। ख0न0 633 कृषि भूमि है और ख0न0 686 मे ही होकर साबिक किस्तुर चंद जैन के समय से ही रास्ता रहा है। सीधा रास्ता ख0न0 686/1472 से ही है। प्रदर्श 9 बयान जो रेस्पो0 रामचरण ने तहसीलदार को जॉच मे दिया है उसमे रास्ता ख0न0 686/1472 जो रामचरण ने किस्तुर चंद जैन से खरीदा है उसमे होकर ख0न0 630,631 एवं 633 की भूमि के लिए पगडंडी वर्तमान मे बनी हुई है। जो पैदल रास्ता के लिए पर्याप्त है परन्तु ट्रेक्टर ट्रोली के लिए नही क्योकि मेरे ख0न0 686/1472 मे फसल खडी हुई है जिसमे ट्रेक्टर ट्रोली के लिए नही क्योकि मेरे ख0न0 686/1472 मे फसल खडी हुई है। जिसमे ट्रेक्टर ट्रोल के लिए रास्ता प्रदान किया जाना संभव नही है। रतनी वगै0 के ख0न0 के लिए जाने आने के लिए समय समय पर तारबंदी को खोलकर रास्ता प्रदान किया जाता रहा है। यह बयान रामचरण ने दिनांक 19.2.19 को लेखबद्व किया हुआ है। जिस पर रामचरण के हस्ताक्षर है। इसी रास्ता की चौडाईकरण 20 फीट किये जाने का आवेदन अपीलांट द्वारा धारा 251 ए के तहत किया गया है। यह रास्ता ग्राम काछीपुरा के आम रास्ता ख0न0 635 से लगा हुआ है से होकर ख0न0 635 एवं 634 के सहारे ख0न0 686/1472 की मांग की है। अपीलांट के पास वैकल्पिक रास्ता नही है। यह प्रमाणित है। जो रिपोर्ट पटवारी हल्का से स्पष्ट है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ख0न0 633 मे आने जाने हेतु रास्ता ख0न0 686/1472 की भूमि मे होकर प्रदान किया जावे।

अपील संख्या 58/23 मे रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। ख0न0 686/1472 मे से होकर अपीलांट/प्रार्थीगण का कभी रास्ता नही रहा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा मे बताये लाल रंग पर रेस्पो0 का पुख्ता मकान बना हुआ है। जो काफी अर्से का है। ख0न0 633 मे जाने के लिए दूसरा रास्ता मौजूद है। जो अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नक्शा से स्पष्ट है। ख0न0 686/1472 मे दो सडक काछीपुरा से करसाई डामर रोड तथा दूसरी काछीपुरा से महौली ग्रेवल सडक निकल रही है। अपीलांट ग्रेवल सडक से ख0न0 628 के सहारे सहारे ख0न0 633 मे प्रवेश करते है। यही अपीलांट/प्रार्थीगण का सुगत रास्ता है। ख0न0 628 मे खातेदार आवश्यक पक्षकार होने के कारण ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत सबसे सुगम रास्ता ख0न0 628 मे से होने पर ही राजस्थान काश्कारी नियम 1955 के नियम 70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि [illegible] की शर्त पर सार्वजनिक उपयोग हेतु गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश वि[illegible] [illegible]प दिये गये है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:15:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 1 ता 6 द्वारा अपनी आराजीयात ख0न0 633 पर कोई बैकल्पिक रास्ता मौजूद नही होने तथा पूर्व से चालू रास्ता आराजी ख0न0 686/1472 मे से 20 फीट चौडाई के रास्ते हेतु प्रार्थना की गई थी। रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अप्रार्थी रामचरण के विरूद्व पेश किया था जिसमे खेत ख0न0 633 को आने जाने का रास्ता एक मात्र रामचरण के खेत ख0न0 686/1472 मे होकर हमेशा से ट्रेक्टर ट्रोली व आवागमन साधन आने जाने का बताया गया है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही होना बताया गया है। रेस्पो0/प्रार्थीगण द्वारा रास्ता आराजीयात ख0न0 686/1472 जो कि रामचरण की खातेदारी मे दर्ज है मे से चाहा गया था। अन्य किसी भी आराजीयात मे से रास्ता प्राप्त करने की प्रार्थना प्रार्थीगण द्वारा नही की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व रूप से अपीलांट की आराजीयात ख0न0 628 मे से रास्ता प्रदान किया गया है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतःउक्त दोनो अपीले स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 3/18 निर्णय दिनांक 21.7.23 को अपास्त किया जाता है। किसी खातेदार की आराजीयात पर पहुँच हेतु रास्ता एक अत्यधिक आवश्यकता है। अतः अपीलांट/प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 633 ग्राम करसाई के कृषि आवागमन हेतु 20 फीट चौडा रास्ता ख0न0 686/1472 ग्राम करसाई तहसील करौली मे से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा बरंग सुर्ख मे रास्ता प्रदान करने के आदेश दिये जाते है। अपीलांट इस रास्ते हेतु काम आने वाली भूमि की डी एल सी दर की दो गुना राशि भूमि ख0न0 686/1472 के खातेदार को अदायगी की जावे। तहसीलदार करौली को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते के काम आने वाली भूमि का डी एल सी दर की दो गुना राशि का निर्धारण कर, निर्धारित राशि संबंधित खातेदार को अदायगी होने पर राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियो मे पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:15:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner